

# नवयुग सामाचार

बहराइच से प्रकाशित

एक सामाजिक दर्पण

बहराइच से प्रकाशित

एक सामाजिक दर्पण

लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, कानपुर, कन्नौज, फरुखाबाद, गोरखपुर, अंबेडकरनगर, म.प्र., बिहार में प्रसारित

# प्रदेश के तीन नए शहरों में शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा

लखनऊ। नगर निगमों की तर्ज पर अब नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में स्वकर निर्धारण प्रणाली लागू होगी। यानि अब छेटे शहरों में भी गृहकर का वसुली अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही शहरी सीमा में शामिल गांवों में पांच साल तक या विकास होने तक हाउस टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश नगर पालिका (भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर) नियमावली-2024 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। यह व्यवस्था नगर विकास विभाग द्वारा अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी। नगर विकास विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक इस कर प्रणाली के लागू होने के बाद नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में रहने वाले लोग भी अपने घर का गृहकर खुद निर्धारित कर सकेंगे। अब तक यह कर प्रणाली सिर्फ नगर निगम वाले शहरों में ही लागू थी। बता दें कि इस समय प्रदेश में कुल 762 निकाय हैं। इनमें 17 नगर निगम, 200 पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतें हैं। नगर निगमों में अनिवार्य रूप से हाउस टैक्स वसुली के लिए तो नियमावली है, लेकिन नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में इसके लिए कोई नियमावली



नगर निकायों में गृहकर वसूली को अनिवार्य किया गया है। वहाँ, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 15वें वित्त आयोग की राशि देने के लिए भी न्यूनतम फ्लोर दर अधिसूचित किया है। नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में हाउस टैक्स वसूली के लिए नियमावली न होने से केंद्रीय वित्त आयोग की राशि नहीं मिल पा रही है। इसलिए भी छोटे शहरों के लिए नियमावली बनाने की जरूरत है। प्रदेश में विद्युत सु-रक्षा निदेशालय के तहत कार्यरत विद्युत निरीक्षक अब डिप्लोमाधारी भी नियुक्ति हो सकेंगे। अभी तक सिर्फ स्नातक डिग्रीधारी ही इस पद के योग्य माने जाते थे। मंगलवार को इस आशय के प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई केंद्र सरकार की ओर से सु-रक्षा संबंधी अधिनियम में बदलाव किया गया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश मुख्य विद्युत निरीक्षक और विद्युत निरीक्षकों की अहंताएं, शक्तियां और कृत्य नियमावली 2024 बनाई गई। इसे मंगलवार को कैबिनेट में रखा गया, जिसे मंजूरी दे दी गई है। इस नियमावली में नियुक्ति के नियमों में बदलाव किया गया है। निरीक्षक पद अभी तक इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्रीधारियों को ही लिया जाता था। अब

डिप्लोमा डिग्रीधारी भी कुछ अनुभव के साथ इस पद के लिए योग्य माने जाएंगे। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि इस नई व्यवस्था में विद्युत सुरक्षा निदेशालय के खाली पदों को जल्द से जल्द भरा जा सकेगा।

## लखनऊ, प्रयागराज व कपिलवस्तु में

हेलीकॉप्टर सेवा जल्द

प्रदेश में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार प्रमुख पर्यटन व धार्मिक स्थलों पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कर रही है। लखनऊ, प्रयागराज व कपिलवस्तु में जल्द हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की तैयारी है। कैबिनेट ने मंगलवार को इन तीनों जगहों पर हैलीपैड को पीपीपी मोड पर निजी निवेशकों के माध्यम से विकसित व संचालित करने पर सहमति दे दी है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि अभी आगरा और मथुरा में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है। यहां पर हैलीपैड को पीपीपी मोड पर चलाया जा रहा है।

# लोकसभा में राहुल गांधी होंगे विपक्ष के नेता

खरगे के आवास पर हुई विपक्षी नेताओं की बैठक में फैसला



और केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ा था। वे दोनों ही सीटों पर विजयी रहे। हालांकि, बाद में उन्होंने रायबरेली सीट को अपने पास रखने का फैसला किया और वायनाड सीट छोड़ दी। उन्होंने मंगलवार को ही लोकसभा सदस्यता की शपथ ली। राहुल गांधी को लोकसभा में नेता विपक्ष बनाए जाने पर कांग्रेस अध्यक्ष मलिककार्जुन खरणे ने एक्स पर पोस्ट में कहा, हालांकि 18वीं लोकसभा में लोकसभा सही मायनों में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करेगी। राहुल गांधी उनकी आवाज बन रहे हैं। उन्होंने जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मणिपुर से महाराष्ट्र तक पूरे देश का दौरा किया है, वह लोगों विशेषकर हांशए पर रहने वाले और गरीबों की आवाज उठाएंगे। कांग्रेस पार्टी न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के अपने शाश्वत सिद्धांतों को कायम रखते हुए लोकतंत्र और सांविधान की रक्षा के लिए ढृढ़ा से प्रतिबद्ध है। भाजपा ने हाल ही में 543 सदस्यीय लोकसभा के लिए हुए चुनावों में 240 से ज्यादा सीटें जीतीं और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में अपने सहयोगियों के साथ सरकार बनाई। विपक्षी दलों के घटक

**18 यात्रियों को लिए बिना ही उड़ गई इंडिगो की फ्लाइट हुंगामा करने पर बस से भेजा गया**

लखनऊ। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट अमौसी पर इंडिगो की फ्लाइट बिना 18 यात्रियों को लिए उड़ गई। सभी यात्री देहरादून से वाराणसी जा रहे थे। लखनऊ में यात्रियों को उतार कर इंडिगो की फ्लाइट उन्हें लिए बिना ही वाराणसी रवाना हो गई। कनेक्टिंग फ्लाइट के 18 यात्री लखनऊ में छूट गए। जब पता चला कि उनकी फ्लाइट जा चुकी है तो एयरपोर्ट पर खूब हंगामा किया। इन यात्रियों को एयरलाइंस ने रात में बस से वाराणसी भेजा। जिनकी फ्लाइट छूटी वे सभी यात्री देहरादून से लखनऊ आए थे। इन यात्रियों ने कनेक्टिंग उड़ान ली थी। यानी देहरादून से लखनऊ की इंडिगो उड़ान से आने के बाद आगे यहां से वाराणसी जाना था। मंगलवार को देहरादून की उड़ान खराब मौसम की वजह से काफी लेट हो गई। जब यह लखनऊ पहुंची तब तक इंडिगो की लखनऊ-वाराणसी फ्लाइट उड़ान भर चकी थी। एक वीडियो एक्स्प्रेस पर पोस्टर कर उन्होंने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ भाजपा की केंद्र सरकार बड़ी साजिश कर रही है। सरकार अरविंद केजरीवाल को सीबीआई द्वारा फर्जी केस में गिरफ्तार करने की साजिश रच रही है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने सीबीआई के अधिकारियों के गांधी नगर

# आवकरा नात कस म बढ़ा केजरीवाल की मुश्किल

सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई से पहले ये साजिश की जा रही है। ताकि केजरीवाल को जमानत न मिल सके। अदालत ने कहा कि अबकाश न्यायाधीश ने ईडी की पूरी सामग्री पर गैर किए बिना ही जमानत आदेश पारित कर दिया जिसमें विकृतियां झलकती हैं। अदालत ने कहा केजरीवाल की जमानत पर नियमित पीठ सुनवाई करेगी।



किया है कि पक्षों की ओर से उठाए गए प्रासंगिक तर्कों और विवादों से निपटा गया है। न्यायाधीश को विवादित आदेश में इस तरह की टिप्पणी करने से बचना चाहिए उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि निचली अदालत ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 के तहत जमानत के लिए दोहरी शर्तों पर दलील को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया। न्यायाधीश को विवादित आदेश पारित करते समय हर महत्वपूर्ण और प्रासंगिक दस्तावेज पर विचार करना आवश्यक था। अदालत ने आगे कहा कि अवकाश न्यायाधीश ने ईडी द्वारा लिखित नोट में उल्लिखित मुद्दों पर विचार नहीं किया, जिसे ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इसने कहा कि प्रत्येक अदालत का दायित्व है कि वह अदालत के समक्ष अपने पारित करने से पहले कम से कम पीएमएलए की धारा 45 की दो शर्तों की पूर्ति के बारे में अपनी संतुष्टि दर्ज करनी चाहिए थी। इसके अलावा केजरीवाल की प्रतिनिधि दायित्व की भूमिका के बारे में ईडी ने उल्लेख करते हुए मुद्दा उठाया कि इसकी विशेष रूप से जांच की गई और इसे स्थापित किया गया, लेकिन उक्त मुद्दे को विवादित आदेश में कोई स्थान नहीं मिला।

न्यायालय ने ईडी द्वारा पेश की गई दलीलों में तथ्यात्मक बल पाया कि अवकाश न्यायाधीश ने रिकॉर्ड पर मौजूद संपूर्ण सामग्री पर उचित विचार करने के बाद जमानत आदेश पारित नहीं किया। विवादित आदेश में अवकाश न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणी अनावश्यक, अनुचित और संदर्भ से बाहर है। अवकाश न्यायाधीश को विवादित आदेश में इस तरह की टिप्पणी करने से बचाया जाएगा। अदालत संबंधित मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए पर्याप्त और उचित अवसर दे और ईडी को अवकाश न्यायाधीश द्वारा जमानत आवेदन पर तर्कों को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए था। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि अवकाश न्यायाधीश जमानत आदेश पारित करते समय पीएमएलए की धारा 45 की आवश्यकता पर चर्चा करने में विफल रहे। अदालत ने कहा कि दायरे कोर्ट को विवादित आदेश 20 जून को मिल गई थी जमानत 20 जून को द्वायल कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी थी। 21 जून को ईडी ने मुख्यमंत्री को जमानत दिए जाने को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। इस बीच, केंद्रीय जाच एजेंसी ने विवादित आदेश पर रोक लगाने के लिए तत्काल आवेदन दिया। पिछले सप्ताह अवकाशकालीन न्यायमूर्ति जैन ने शुक्रवार को ईडी की याचिका पर समर्पित की।


# ब्रह्म समाचार (राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक) आज ही अपना विज्ञापन बुक कराएं खबर, विज्ञापन एवं जुड़ने

**के लिए संपर्क करें**  
**9984176988**  
**9044973372**  
**8853259934**

**संजय त्रिपाठी**  
**प्रबंध संपादक**

**नय - मुकेरिया, महसी, रामगांव, बहराइच, उत्तर प्रदेश**

**नय - 144-ए, जयप्रदाश नगर, बिलहौर, कानपुर नगर**



**M.B.A, B.B.A, B.Tech., M.Tech.  
Polytechnic Diploma, B.C.A.,  
M.C.A., D.J.M., B.J.M., M.J.M.  
B.A., M.A., B.Sc., M.Sc., B.com.  
M.Com., B.Lib., M.Lib., L.L.M.  
etc. Degree & Diploma Courses**

**C.M.S. & E.D., D.M.L.T.  
A.N.M., G.N.M.,  
B.Sc. (Nursing)  
D.Y.N.S., B.Y.N.S.  
N.D., M.D.  
D.Pharma, B.Pharma etc**

Plz. Feel Free to Contact On : **9044973372, 8853259934**





अपर पुलिस अधीक्षक नगर रामानंद कुशवाहा द्वारा थाना कोतवाली देहात के विवेचकों का अर्दली रूम कर विवेचनाओं की स्थिति की समीक्षा की गई।



नवयुग समाचार  
बहराइच अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना कोतवाली देहात के विवेचकों का अर्दली रूम कर विवेचनाओं की स्थिति की समीक्षा की गई तथा लंबित विवेचनाओं के त्वारित/गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए तथा अनावरण हेतु शोध अभियोगों का शीघ्र अनावरण करते हुए बरामदी/गिरफतारी करने के साथ, थाना क्षेत्र में घटनाओं पर पूर्ण अंकुश लगाने व थाना क्षेत्र में चार पहिया/दो पहिया वाहन में बिना हेलमेट, तीन सवारी, बिना नंबर प्लेट

अपर पुलिस अधीक्षक ने पोड़े/पुलिस लाइन का किया निरीक्षण

हमायुर। आज अपर पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर द्वारा मंगलवार की पोड़े पुलिस लाइन हमीरपुर का निरीक्षण किया गया। इस क्रम में साताविंक मंगलवार की पोड़े की सलामी लेकर निरीक्षण किया गया व अनुसासन व एकरुपता के लिए टोलीवार ड्रिल करवाया गया। शारीरिक व मानसिक रूप से फिटस्वस्थ रहने के लिए दौड़ लगवायी गयी। यूपी 112 पींगरवी चार पहिया वाहनों, दो नियंत्रण उपकरण व अधिलेखों का निरीक्षण किया गया तथा सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बाटर गार्ड में सलामी लेकर शस्त्रागार व स्टोर रूम का निरीक्षण किया गया तथा सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

